तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/2/17	पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकैन उपस्थित। समय अभाव के कारण व अन्य कार्य में व्यस्त होने से निर्णय नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 28/2/17 को पेश हो। (ह०)
28/2/17	पत्रावली पेश। वकील फरीकैन उपस्थित। प्र०पत्र [illegible] खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थक से अलग होकर मूल दावा के साथ संलग्न हो। (ह०)
	उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला-[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल जिला करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश चन्द गोयल आर.ए.एस.

मु.न.	किस्म मुकदमा	ता. रजू	ता. फैसला
24/15	प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट	10.08.15	28.02.17

उनवान

सीताराम पुत्र कुंडेरी मीना जाति मीना निवासी नींदर तहसील मण्डरायल जिला करौली

..... सायल

बनाम

1. सीयाराम पुत्र बंशी मीना जाति मीना निवासी बंशी का पुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली
2. तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर मण्डरायल

..... गैरसायलान

निर्णय

दिनांक 28.02.17

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने यह प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित दावा न्यायालय हाजा में पेश किया जा चुका है। आराजी ख.न. 535 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा ग्राम नींदर तहसील मण्डरायल में स्थित है। उक्त आराजी मुरली पुत्र धनीराम जाति मीना निवासी नींदर की एक मात्र खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है, जिनका स्वर्गवास संवत् 2021 को चुका है, जिसका सायल के पिता ने सारा क्रियाकर्म व अन्तिम संस्कार किया एवं उनके फूलों को गंगाजी में सम्वत् 2021 चैत्र सुदी पूनो को उक्त कुंडेरी पुत्र बिहारी गंगाजी ले गया। उक्त बिहारी बलदेव का लडका था जिसका पूर्ण सजरा प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज है। दिनांक 03.02.81 को मुरली की उक्त खातेदारी की आराजी का नामान्तकरण संख्या 167 दिनांक 03.02.81 को सरपंच ग्राम पंचायत नींदर द्वारा भरते वक्त गलत सजरा अंकित करते हुए विवादित भूमि को गैरसायल नं 1 के नाम गलत अंकित कर दी क्योंकि बलदेव के बिहारी व कुन्दन दो ही लडके थे। धनीराम बलदेव का लडका नहीं था । इसकी जानकारी इस सायल व गैरसायल के मध्य आवासीय जमीन व उक्त आराजी के बाबत् झगडे उत्पन्न होने पर कागजात राजस्व रिकार्ड की नकल सायल द्वारा लेने पर हुई थी।सायल के पास धनीराम का लडका मुरली जो जईफुल उम्र के थे, उनके अन्य कोई लडका व जाईदा वारिस न होने से उक्त मुरली सायल के पिता कुंडेरी के पास रहे और उन्होने ही उसकी सेवा व जीवन यापन किया। बंशी अथवा कुन्दन के परिवार से उक्त मुरली का कोई सम्बन्ध नहीं रहा ना ही मुरली की कभी कोई देखरेख की किन्तु बंशी चालाक किस्म का व्यक्ति था। उसने मुरली के स्वर्गवास पर राजस्व कर्मियों व सरपंच से मिलकर नामान्तकरण सं. 167 दिनांक 03.02.81 पर दर्शित सजरा के विपरीत सजरा बनवाकर धनीराम को गलत तौर उक्त भूमि को हडपने की नीयत से सजरा में दर्ज कराकर गैरसायल के पिता बंशी ने उक्त विवादित जमीन के 1/2 हिस्से की खातेदारी गलत दर्ज करा ली, जबकि उक्त आराजी पर मुरली के मृत्यु तक सायल के पिता कुंडेरी ने ही काश्त की और काबिज रहता चला आ रहा है। गैरसायल नं 1 व उसके पिता बंशी ने उक्त विवादित भूमि को आज तक काश्त नहीं की, ना ही कभी सार संभाल की है। इसलिए सायल उक्त विवादित जमीन की 1/2 हिस्से की गलत खातेदारी जो गैरसायल नं. 1 के पिता बंशी के नाम गलत नामान्तकरण के आधार पर दर्ज की है,

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (करौली)

उसको अवैध घोषित कराकर उक्त आराजी सम्पूर्ण की खातेदारी व कब्जे काश्त की घोषणा सायल अपने नाम कराने का अधिकारी है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में मुरली के स्वर्गवास के बाद रतनलाल ब्राह्मण निवासी नींदर द्वारा लावारिसी की सम्पत्ति होने बाबत् शिकायत नायब तहसीलदार मण्डरायल के समक्ष की गई, जिसके नोटिस सायल सीताराम, मुरली व रतनलाल को दिनांक 30.3.1977 को नायब तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होने को सूचना दी गई। तब सायल ने दिनांक 30.3.1977 को ही मुरली के मुरली के फौत हो जाने के कारण नायब तहसीलदार मण्डरायल के समक्ष अर्जी प्रस्तुत की थी कि सायल ही मुरली का जायज वारिस है । इस कार्यवाही में बंशी ने अपना कोई उज्र पेश नहीं किया किन्तु नामा. सं.167 दिनांक 03.02.81 को सरपंच ग्राम पंचायत नींदर से उक्त गैरसायल के पिता बंशी ने मिलकर अपने नाम 1/2 हिस्से की खोतदारी गलत तौर पर इन्द्राज करा ली, जिसे सायल अवैध घोषित कराने का अधिकारी है। मुरली के स्वर्गवास के बाद उसकी आबादी के घर व जमीन बाडे जो मुरली के स्वर्गवास के बाद से ही सायल के कब्जे व उपयोग में चले आ रहे हैं जिसमें बंगला बना हुआ है तथा मीना समाज के पंचो का कुआ भी बना हुआ है, के बाबत् जिला कलक्टर करौली के यहॉ गैरसायल द्वारा गलत पट्टे बनवाने के कारण उसके खिलाफ सायल द्वारा निगरानी प्रस्तुत की, जिसके पट्टा संख्या 19, 20 निरस्त किये जा चुके हैं। सायल द्वारा गैरसायल से दिनांक को यह कहने पर कि गैरसायल नं. 2 के यहॉ चलकर गलत इन्द्राजों को ठीक करवालो किन्तु उक्त इन्द्राज दुरस्ती के लिए गैरसायल नं. 1 ने साफ इन्कार कर दिया और सायल को फॅसाने के लिए उसने उसके व उसके परिवार के खिलाफ झूठे फौजदारी मुकदमे कर दिये । गैरसायल सायल से उक्त आराजी के 1/2 हिस्से को छीनने पर आमादा है। तब सायल ने दावा व यह दर. प्रस्तुत की है। गैरसायल की उक्त अवैध कार्यवाही व गैरसायल ने दिनांक को ऐलानिया कहा कि मैं तो उक्त जमीन के 1/2 हिस्से को ताकत के बल पर काश्त करूगा। इससे सायल के हक–हकूकों पर भारी आघात है। इसलिए सायल गैरसायल को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है अन्त में सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया। गैरसायल नं. 1 ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी का ग्राम नींदर में स्थित होना स्वीकार है वाकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है, गलत है। स्वीकार नहीं है। नामान्तकरण सं. 167 दिनांक 03.02.81 सही दर्ज हुआ है तथा उक्त आराजी में गैरसायल नं.1 का 1/2 हिस्सा है और इसी अनुसार गैरसायल आराजी पर काबिज काश्त सन् 1981 से चला आ रहा है। सायल ने सजरा गलत प्रस्तुत किया है। मुरली सायल के पिता कुंडेरी के पास नहीं रहा है ना ही उसकी सेवा व जीवन यापन सायल व उसके पिता द्वारा किया गया है। मुरली अलग रहता था तथा बुढापे में उसकी देखभाल , सेवा व खानपान की व्यवस्था सायल व गैरसायल के द्वारा समान रूप से की गई थी। मुरली की मृत्यु के बाद उसके समस्त क्रिया कर्म में गैरसायल द्वारा आधा हिस्सा दिया गया था। सायल के पिता द्वारा विवादित आराजी को मुरली की मृत्यु तक काबिज काश्त करना गलत है। मुरली की मृत्यु के बाद सायल व गैरसायल समान हक से 1/2–1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है। सायल नामान्तकरण को अवैध घोषित कराने का अधिकारी नहीं है और ना ही सायल अपने हक में विवादित आराजी सम्पूर्ण को खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है और ना ही कोई राजस्व रिकार्ड में अमल कराने का अधिकारी है। गैरसायल के पिता को किसी कोई कार्यवाही के नोटिस विवादित भूमि बाबत् प्राप्त नहीं हुऐ है। गैरसायल के पिता बंशी मृतक मुरली का कानूनी व वैद्य वारिस है। गैरसायल के पिता बंशी के हक की 1/2 हिस्से की आराजी की खातेदारी सही दर्ज हुई है तथा नामान्तकरण भी सही दर्ज हुआ है, जो सायल पर पूर्णतः प्रभावी व बाध्यकारी है। मुरली की मृत्यु के बाद उसके घर व बाडों मे भी गैरसायल का 1/2 हिस्सा है । इसी अनुसार सायल व गैरसायल काबिज है। तन्हा सायल का कोई कब्जा नहीं है। खाता आराजी का सही दर्ज हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (करौली)

ऐसी स्थिति में इन्द्राज ठीक कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। गैरसायल द्वारा सायल के विरूद्ध धारा 145 सी.आर. पी.सी. का प्रकरण सहीं दर्ज कराया गया है। सायल तन्हा सम्पूर्ण खातेदारी अपने हक में घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। सायल द्वारा खातेदारी के बारे में जानकारी दिनांक 09.09.14 को होने की गलत दर्ज की है जबकि सायल को गैरसायल के व उसके पिता के हक में 1/2 हिस्से की खातेदारी की जानकारी वक्त नामान्तकरण 167 से रही है। सायल द्वारा गलत व फर्जी कूटरचित दस्तावेज पेश किये है। बंशी के समय से ही गैरसायल का विवादित आराजी हिस्सा 1/2 पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। सायल के हक हकूकों पर कोई आघात नहीं है। सायल कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। दर. सायल खारिज किये जाने योग्य है। सायल द्वारा गलत सजरा दर्ज किया गया है। जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में गैरसायल द्वारा सही सजरा दर्ज किया गया है। सायल द्वारा गैरसायल के विरूद्ध गलत दावा व प्रार्थना पत्र पेश की है। सायल के मन में बदयान्ती है। विवादित आराजी सम्पूर्ण को सायल गलत तौर से हडपना चाहता है। सायल व गैरसायल का विवादित आराजी में समान हिस्सा 1/2–1/2 है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील सायल का बहस में तर्क है कि विवादित भूमि मुरली पुत्र धनीराम के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। मुरली अपने जीवन काल तक सायल के पिता कुंडेरी के साथ रहा है और सायल के पिता ने ही मुरली की सेवा की है व जीवन यापन की व्यवस्था की है और उसके मरने के बाद समस्त क्रिया कर्म दाह संस्कार व गंगा जी फूलों को ले जाने के संस्कार किये हैं और मुरली के मरने के बाद लावारिसी का नोटिस भी नायब तहसीलदार से सायल को प्राप्त हुआ है। सायल ने उसी दिन दिनांक 30.03.77 को मुरली का अपने आप को वारिस होने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। गैरसायल नं 1 के पिता बंशी ने गलत तरीके से विरासत नामान्तकरण पटवारी,भू–अभिलेख निरीक्षक व सरपंच ग्राम पंचायत नींदर से सांठ गांठ कर नामान्तकरण संख्या 167 दिनांक 03.02.81 को करा लिया गया जबकि सम्पूर्ण भूमि सायल के खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। गैरसायल ताकत के बल पर भूमि के 1/2 हिस्से पर कब्जा करने पर आमादा है जिससे हक हकूक सायल पर आघात है। इसलिए सायल गैरसायल को ताफैसला वादपत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है और प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील गैरसायल का बहस में कथन है कि विवादित भूमि सायल व गैरसायल के पिता के समय से ही 1/2–1/2 हिस्से खातेदारी व कब्जे में चली आ रही है। मुरली के वारिसान सायल के पिता कुंडेरी व गैरसायल के पिता बंशी समान रूप से होने से मुरली की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण संख्या 167 दिनांक 03.02.1981 को ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत स्वीकृत किया गया है। सायल के प्रार्थना पत्र में गलत सजरा दर्ज किया है। गैरसायल द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र में सहीं सजरा दर्ज किया गया है एवं विवादित भूमि के सायल व गैरसायल 1/2–1/2 हिस्से के सह खातेदार काश्तकार है। सायल, गैरसायल को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है । सायल , गैरसायल के हिस्से की भूमि को गलत दावा व दर. के तहत हडपना चाहता है। इसलिए सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

बहस वकील फरीकेन का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 का अवलोकन किया गया, जिससे विवादित भूमि ख.न. 535 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा सायल व गैरसायल के समान हिस्से खातेदारी 1/2–1/2 में दर्ज है। इस प्रकार वर्तमान में सायल व गैरसायल विवादित भूमि के रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार हैं। विधि अनुसार एक सहखातेदार के विरूद्ध दूसरा सहखातेदार भूमि पर इंच–इंच भाग पर कब्जा होने से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस सायल के हक में

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (करौली)

प्रतीत नहीं होता है एवं सायल को कोई अपूर्णनीय क्षति व असुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र सायल विरूद्ध गैरसायलान खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

28/2/17

(सुरेश चन्द गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल